न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 28 सन 2018
अनवान :–

1. हेतराम पुत्र बेगराज जाति ब्रहाम्ण (शर्मा) निवासी करोती तहसील नोहर।
2. महावीर प्रसाद पुत्र बेगराज जाति ब्रहाम्ण (शर्मा) निवासी करोती तहसील नोहर
3. सागरमल पुत्र बेगराज जाति ब्रहाम्ण (शर्मा) निवासी करोती तहसील नोहर
4. हरदेवाराम पुत्र बेगराज जाति ब्रहाम्ण (शर्मा) निवासी करोती तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री आनन्द कुमार अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 01.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1
हेतराम पुत्र बेगराज जाति ब्रहाम्ण निवासी करोती खाता संख्या 146 / 141 के खसरा न0 134 / 5
की 1.2650हैक व खसरा न0 141 / 5 की 0.6420हैक कुल 1.9070हैक प्रार्थी संख्या 2 महावीर पुत्र
बेगराज जाति ब्रहाम्ण निवासी करोती खाता संख्या 90 / 83 के खसरा न0 134 / 2 की 1.0120हैक
खसरा न0 141 / 6 की 0.6430हैक कुल 1.6550हैक एवं प्रार्थी संख्या 3 सागरमल पुत्र बेगराज
जाति ब्रहाम्ण निवासी करोती के खाता संख्या 137 / 129 के खसरा न0 134 / 4 की 1.1000हैक
खसरा न0 141 / 4 की 0.6430हैक कुल 1.7430हैक प्रार्थी संख्या 4 हरदेवाराम पुत्र बेगराज जाति
ब्रहाम्ण निवासी करोती खाता संख्या 143 / 138 के खसरा न0 134 / 3 की 1.1000हैक खसरा न0
141 / 3 की 0.6420हैक कुल 1.7420हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।
राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम बेगाराम दर्ज है जबकि सही नाम बेगराज है
इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 3 का नाम सागरराम दर्ज है जबकि सही नाम सागरमल पुत्र बेगराज है
प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजात में बेगराज एवं सागरमल दर्ज है प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में
गलत नाम दर्ज होने से राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नही उठा पा
रहे है प्रार्थीगण अपना व अपने पिता का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी
हैं वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार नोहर से
वादीया के वाद /नाम संशोधन के सम्बध मे रिपोर्ट /जबाब चाहा गया पेरोकार राज
तहसीलदार नोहर ने रिपोर्ट पेश की रोही मौजा सोतीवडी में प्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदार
भूमि दर्ज है जिसमें बेगाराम एवं सागरराम दर्ज है एवं अन्य दस्तावेजात में बेगराज एवं सागरमल
दर्ज है दोनो नाम एक ही व्यक्तियों के है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित
है।

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट आने पर शामिल मिसल की जाकर वकील वाद को सुना
गया वकील प्रार्थीगण तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से सन्तुष्ट है व उसी के अनुसार राजस्व
रिकार्ड में संशोधन करवाना चाहती है।

Web Copy - Not Official

SZaidi

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोतीबडी में प्रार्थीगण के नाम से भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम बेगाराम एवं प्रार्थी संख्या 3 का नाम सामरराम दर्ज है प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम बेगराज एवं प्रार्थी संख्या 3 का नाम सागरमल दर्ज है तहसीलदार नोहर की जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में बेगाराम व सागरराम दर्ज है किन्तु प्रार्थीगण के अन्य सभी दस्तावेजात में बेगराज एवं सागरमल दर्ज है संशोधन करने की अभिशषां की गई है।

अतः तहसीलदार नोहर की अभिशाव प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर प्राथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोतीबडी में प्रार्थी संख्या 1 हेतराम पुत्र बेगाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी करोती खाता संख्या 146/141 के खसरा न0 134/5 की 1.2650हैक व खसरा न0 141/5 की 0.6420हैक कुल 1.9070हैक प्रार्थी संख्या 2 महावीर पुत्र बेगाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी करोती खाता संख्या 90/83 के खसरा न0 134/2 की 1.0120हैक खसरा न0 141/6 की 0.6430हैक कुल 1.6550हैक एवं प्रार्थी संख्या 3 सागरराम पुत्र बेगाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी करोती के खाता संख्या 137/129 के खसरा न0 134/4 की 1.1000हैक खसरा न0 141/4 की 0.6430हैक कुल 1.7430हैक प्रार्थी संख्या 4 हरदेवाराम पुत्र बेगाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी करोती खाता संख्या 143/138 के खसरा न0 134/3 की 1.1000हैक खसरा न0 141/3 की 0.6420हैक कुल 1.7420हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में बेगाराम के स्थान पर बेगाराम उर्फ बेगराज एवं सागरराम के स्थान पर सागरराम उर्फ सागरमल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)